उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ
संख्या- 191/06/तीन(परी0-1)/2025/खण्ड-2,
लखनऊः दिनांक- 05 मार्च, 2025

<u>आवश्यक सूचना</u>

आयोग के विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2016, सम्मिलित तकनीकी सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा-2016 के पद क्रम सं0-06 पर विज्ञापित हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन के बिन्दु-12(2) के क्रम में शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रश्नगत शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिये अर्ह अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की आवश्यक सूचना संख्या-22/02/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2020-25/23-परीक्षा 2016, दिनांक-23 जनवरी, 2025 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

प्रश्नगत शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिये अर्ह पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2016 के अन्तर्गत हवलदार इंस्ट्रक्टर संवर्ग के सीधी भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 में हवलदार इंस्ट्रक्टर पद हेतु उल्लिखित न्यूनतम शारीरिक माप के मानक, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2009 में उल्लिखित न्यूनतम मानकों के अनुसार संयुक्त महादेष्टा, होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्रांक- 940/ह0प्र0-125/2016-24, दिनांक 07.02.2025 के क्रम में आयोग द्वारा प्रश्नगत शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विवरणानुसार कराया जायेगा-

1. प्रश्नगत शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र अर्हकारी है, जिसका आयोजन दिनांक-**24 मार्च, 2025 से 29 मार्च, 2025** तक 35 वीं वाहिनी पी.ए.सी. महानगर, जनपद लखनऊ में किया जायेगा।

2. **<u>अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक माप हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक निम्नवत हैं-</u>**

अभ्यर्थी	ऊंचाई	सीना बिना फुलाये	सीना फुलाये जाने पर
पुरुष अन्य	167.7 से0मी0	78.80 से0मी0	83.80 से0मी0
पुरुष पर्वतीय	162.60 से0मी0	76.50 से0मी0	81.50 से0मी0
पुरुष अनुसूचित जनजाति	160.00 से0मी0	76.50 से0मी0	81.50 से0मी0
महिला अन्य	152.00 से0मी0	--	--
महिला पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति	147.00 से0मी0	--	--

3. **<u>अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक निम्नवत हैं-</u>**

विवरण	क्रियाकलाप	न्यूनतम मानक (अर्हकारी)
पुरुष अभ्यर्थियों हेतु	क्रिकेट गेंद फेंकना	55 मीटर
	लम्बी कूद	13 फीट
	बीम (चिनिंग अप)	5 बार
	दौड़ (1500 मी)	अधिकतम 06 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु	लम्बी कूद	09 फीट
	क्रिकेट गेंद फेंकना	25 मीटर
	स्कीपिंग (रस्सी कूदना)	55 बार

	दौड़ (800 मी)	अधिकतम 04 मिनट 30 सेकण्ड में

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित पृथक-पृथक क्रियाकलापों को निम्नलिखित क्रमानुसार आयोजित कराया जायेगा-

I. <u>महिला अभ्यर्थियों के लिए :-</u>

(i) दौड़ (ii) क्रिकेट गेंद फेंकना (iii) लम्बी कूद (iv) स्कीपिंग (रस्सी कूदना)

II. <u>पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:-</u>

(i) दौड़ (ii) क्रिकेट गेंद फेंकना (iii) लम्बी कूद (iv) बीम (चिनिंग अप)

5. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित अर्हताओं के सम्बन्ध में भली-भांति अवगत होते हुए यह सुनिश्चित हो लें कि वे निर्धारित अर्हता/पात्रता को धारित करते हैं तथा पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित हों। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित पृथक-पृथक क्रियाकलापों को उपर्युक्तानुसार निर्धारित क्रम में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा दिवस व समय में ही आयोजित कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित किसी क्रियाकलाप में यदि न्यूनतम अर्हकारी मानक प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अगले क्रियाकलाप हेतु आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत क्रियाकलाप क्रिकेट गेंद फेंकना एवं लम्बी कूद हेतु अभ्यर्थी को अधिकतम 03 अवसर प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रदान किये गये तीनों अवसरों में Foul होने अथवा न्यूनतम मानक प्राप्त न होने पर असफल (Not Qualified) घोषित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी प्रदान किये गये तीनों अवसरों में किसी भी अवसर में न्यूनतम मानक प्राप्त कर लेता है तो उसे शेष अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

7. क्रियाकलाप दौड़, स्कीपिंग (रस्सी कूदना) व बीम (चिनिंग अप) हेतु अभ्यर्थियों को मात्र एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

8. शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व शारीरिक व चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी को एक अन्डरटेकिंग/वचन पत्र भी देना होगा कि वह शारीरिक परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पूर्णतः स्वस्थ है तथा किसी भी ऐसे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या अथवा गम्भीर बीमारी से पीड़ित नहीं है जिसके फलस्वरूप इस परीक्षा में प्रतिभाग करने से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। परीक्षा के दौरान किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

9. परीक्षा केन्द्र पर शारीरिक परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का बायोमीट्रिक डाटा (फोटोग्राफ और आईरिस स्कैन) कैप्चर किया जाएगा तथा उसका सत्यापन/मिलान परीक्षा के पूर्व के चरण (लिखित परीक्षा) के समय लिये गये बायोमीट्रिक डाटा से किया जाएगा। बायोमीट्रिक सत्यापन में असफल होने अथवा यह पाये जाने पर कि शारीरिक परीक्षा हेतु उपस्थित व्यक्ति, लिखित परीक्षा देने वाले व्यक्ति/अभ्यर्थी से भिन्न है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 व अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी व अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा व आयोग की अन्य परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) कर दिया जाएगा।

उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा।

03.03.2025

परीक्षा नियंत्रक,
आयोग।